फर्द अहकाम

(नियम (26))

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)

गुल्याराम
सरकार बनाम आनन्द वगैरा

किस्म मुकदमा 88, 53, 188 RTA मु० नं० 54/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.10.24	पत्रावली बहस हेतु पेश। उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। निर्णय हेतु पत्रावली दि. 18.10.24 को पेश हो।	
18.10.24	पत्रावली निर्णय हेतु पेश। वाद के तथ्यों व उभय पक्ष की बहस के बिन्दुओं पर गौर किया गया। वादी गुल्याराम पुत्र पांचया उर्फ पाचूराम ने ग्राम बासड़ा के खाता सं. 106 स्थित, अपने पिता द्वारा दि. 1.[illegible].1969 को, प्रतिवादीगण 9 ता 14 के बुजुर्गों से, पंजीकृत बैयनामे के आधार पर खातेदारी उद्घोषणा का अनुतोष चाहा है बैयनामा अनुसार विक्रित भूमि 1 बिस्वा है। वादी ने दावे के साथ सम्बंधित बैयनामा व सम्बंधित राजस्व अभिलेख संलग्न किये हैं। प्रतिवादी पक्ष द्वारा 07 R 11 प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दि. 22.3.24 को सारहीन होने के आधार पर अस्वीकार किया गया। वादी पक्ष द्वारा दि. 5.4.24 को तकासमा का अनुतोष आग्रह वापस लेने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिसे स्वीकार किया गया। प्रति. 9 ता 13 द्वारा दि. 5.4.24 को जवाबदावा पेश किया गया। जवाबदावा में विक्रय पत्र दि. 1.[illegible].69 को फर्जी व कूटरचित वर्णित करते हुये वाद वादी खारिज करने का आग्रह किया गया। वादी ने साक्ष्य में अपना शपथपत्र पेश किया व प्रतिवादी पक्ष द्वारा जिरह की गयी। प्रति. पक्ष द्वारा दि. 4.10.24 को न्या. सिविल न्यायाधीश सिकराय के स्थगन आदेश की पालना में वाद पत्र में further कार्यवाही नहीं करने का आग्रह किया गया। न्या. सिविल न्यायाधीश के अन्तरिम T.I. आदेश दि. 1.9.24 में प्रश्नगत भूमि आगे हस्तान्तरण नहीं करने बाबत है, जबकि प्रश्नगत वाद खातेदारी घोषणा बाबत है, जिसका स्थगन पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं है। प्रतिवादी पक्ष को अपनी साक्ष्य पेश करने के अवसर दिये जाने के पश्चात भी साक्ष्य नहीं करवाने के कारण साक्ष्य प्रतिवादी बंद कर दि. 11.10.24 को बहस दावा सुनी गयी	

— लगातार . . .

(रणजीत सिंह)
18.10.24

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	गुल्लाराम उनवान सरकार बनाम अजय वगैरह 88, 138 RTA
	मुकदमा नं0 54/2021 निर्णय दि0 18.10.21 वादी पक्ष ने अपनी बहस में दि. 1.[redacted].1969 को सम्पादित पंजीकृत बैयनामे की निष्पादन से सही होने तथा मौके पर बैयनामा अनुसार लगातार काबिज होने का तर्क किया। वादी पक्ष ने मौका कब्जा के सबूत बाबत सिविल न्या.प्र. पेश मौका कमीशनर रिपोर्ट दि. 10.9.21 व फोटोग्राफ पेश किये। प्रतिवादी पक्ष का तर्क रहा कि बैयनामे पर विक्रेता के हस्ताक्षर नहीं है तथा दावा मियाद बाहर है जहां तक बैयनामे के फर्जी व कूटरचित होने का प्रश्न है, उसका विनिश्चय केवल सिविल न्या. द्वारा ही किया जा सकता है दावा घोषणा खातेदारी का है इसलिये मियाद का बिंदु लागू नहीं होता है 1969 के समय छोटे टुकड़ों के बैयनामों के राजस्व अभिलेख में इन्द्राज पर रोक के कारण ही सम्भवतया पश्चात बैयनामे अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल नहीं किया गया है अत: वादी गुल्लाराम पुत्र पांच्या उर्फ पांचूराम को बैयनामा दि. 1.[redacted].69 के आधार पर, ग्राम वासड़ा के खाता सं. 106 में, 1 बिस्वा का खातेदार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण 9 ता 14 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वो वादी की कब्जाशुदा भूमि में किसी तरह की दखलंदाजी न करे। निर्णय अनुसार डिक्री व तहरीर जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार हो। (रणजीत सिंह) 18.10.21